UPSI120021562023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-276/2023

मो० फुरकान बनाम बुद्धि प्रकाश आदि।

दिनाँक 19.07.2023

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री विमलेश बाजपेई द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 22.08.2023 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 31.08.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6 ग ^{2}

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग ^{2} अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निर्णय तक प्रतिवादीगण को भूमि गाटा संख्या 1416 में वादी के पूर्वी 1/4 भाग स्थित ग्राम जलालपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर में वादी के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व कब्जे व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने, निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11 ग से नकल खतौनी बाबत गाटा संख्या 1416 क्षे० 0.7730 हे०, स्थित ग्राम जलालपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर (मूल), छायाप्रति जिल्द चकबन्दी (नक्शा) ग्राम जलालपुर, (उपरोक्त), छायाप्रति प्रार्थनापत्र श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय सीतापुर, आधार कार्ड मो० फुरकान की छायाप्रति, नकल बैनामा गाटा संख्या 1416 क्षे० 0.773 हे० के अंशभाग 0.381 हे० स्थित ग्राम जलालपुर, परगना तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर व नकल खतौनी बाबत गाटा संख्या 1417 क्षे० 0.7730 हे० स्थित ग्राम जलालपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर (मूल) प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीय भूमि जाहिरा पत्नी इमामअली व मो० फुरकान पुत्र हाजी शफीउ्ददीन के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6 ग ^{2} पर एकपक्षीय रुप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनाँक 09.08.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8 ग 2

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ग 2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। अमीन कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अमीन कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।कमीशन कार्य हेतु वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2023.07.19 17:43:44 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan